न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर
बइजलास श्रीमती रीना आर.ए.एस.
अनुवान मंजू वगैरा बनाम ओमप्रकाश वगैरा
दावा अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम
दावा सं. 04/2020
निर्णय दिनांक 25.02.2021

1. मंजू पुत्री केशराराम पत्नी बेगराज जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासी केलणिया हाल निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ राजस्थान मोबाईल नं. 9610542805
2. संतोष पुत्री केशराराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट उम्र 38 वर्ष निवासी केलणिया हाल निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. कान्ता पत्नी महेन्द्र पुत्री द्रोपती पत्नी श्योपतराम जाति जाट उम्र 23 वर्ष निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल निवासी सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

—वादीगण

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र नोरां जाति जाट निवासी कपूरीसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राजस्थान
2. बिरजा पुत्री नोरां जाति जाट निवासी कपूरीसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राजस्थान
3. बिरमा पुत्री नोरां जाति जाट निवासी कपूरीसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राजस्थान
4. भंवरी पुत्री नोरां जाति जाट निवासी कपूरीसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राजस्थान
5. मुकना पुत्री नोरां जाति जाट निवासी कपूरीसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राजस्थान
6. लालचन्द पुत्र नोरां जाति जाट निवासी कपूरीसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राजस्थान
7. शिवकुमार पुत्र नोरां जाति जाट निवासी कपूरीसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राजस्थान
8. गणेशाराम पुत्र बरजी पत्नी मोहनराम जाति जाट निवासी शेरपुरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राजस्थान
9. गौरीशंकर पुत्र बरजी पत्नी मोहनराम जाति जाट निवासी शेरपुरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राजस्थान
10. द्रोपती पुत्री बरजी पत्नी मोहनराम जाति जाट निवासी शेरपुरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राजस्थान
11. पतराम पुत्र बरजी पत्नी मोहनराम जाति जाट निवासी शेरपुरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.26 13:29:32 IST
Reason: SelfAttested

12. रामलाल पुत्र बरजी पत्नी मोहनराम जाति जाट निवासी शेरपुरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राजस्थान
13. जगदीश पुत्र धनी पत्नी रेवन्तराम जाति जाट निवासी शेरपुरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राजस्थान
14. कमला पुत्री संतराम जाति जाट निवासी केलणिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ राजस्थान
15. कलावती उर्फ शेरादेवी पुत्री श्योदान जाति जाट निवासी केलणिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ राजस्थान
16. गुड्डी पुत्री श्योदान जाति जाट निवासी केलणिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ राजस्थान
17. संतोष पुत्री श्योदान जाति जाट निवासी केलणिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ राजस्थान
18. सुरजा पुत्री श्योदान जाति जाट निवासी केलणिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ राजस्थान
19. जमुना पुत्री श्योदान जाति जाट निवासी केलणिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ राजस्थान
20. तिलोकाराम पुत्र श्योदान जाति जाट निवासी केलणिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ राजस्थान
21. देवीलाल पुत्र श्योदान जाति जाट निवासी केलणिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ राजस्थान
22. बस्तीराम पुत्र श्योदान जाति जाट निवासी केलणिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ राजस्थान
23. रूपराम पुत्र श्योदान जाति जाट निवासी केलणिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ राजस्थान
24. गोपीराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी केलणिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ राजस्थान
25. तेजमाल पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी केलणिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ राजस्थान
26. मोहनलाल पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी केलणिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ राजस्थान
27. रामेश्वरी देवी पुत्री हीराराम जाति जाट निवासी केलणिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ राजस्थान
28. चावली पुत्री हुकमाराम जाति जाट निवासी केलणिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ राजस्थान
29. डूंगरराम पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी केलणिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ राजस्थान
30. रामनारायण पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी केलणिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.26 13:29:32 IST
Reason: SelfAttested

31. बादू पुत्री नानूराम जाति जाट निवासी ढाणी दुदगिर तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
32. जेठाराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी ढाणी दुदगिर तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
33. रामेती पुत्री नानूराम जाति जाट निवासी ढाणी दुदगिर तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
34. रावताराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी ढाणी दुदगिर तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
35. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सरदारशहर जिला चूरू

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति –
श्री चुन्नीलाल मेघवाल व ओमप्रकाश बेनीवाल एडवोकेट वास्ते वादीगण
श्री महेन्द्र कुमार सींवर प्रतिवादीगण सं0 1 ता 34
पैरोकार राज

निर्णय

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का विवरण इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 34 के पूर्वज जैता वल्द सुखा के नाम की खातेदारी कृषि भूमि ख0 नं0 603 रकबा 5.9900 हैक्टेयर रोही राणासर पंवारान तहसील सरदारशहर की भूमि स्थित रही है। प्रतिवादी सं0 8 ता 13 व 31 ता 34 के पूर्वज नानूराम गांव ढाणी दुदगिर तहसील सरदारशहर आकर रिहायश करने लगे। परिवार शेष सदस्य गांव केलणिया तहसील रावतसर में रिहायश करते रहे। गांव केलणिया व गांव राणासर पंवारान दोनो चिपते गांव है जिनका रकबा एक दूसरे से सटा हुआ है। वादगत भूमि वाला खेत गांव केलणिया के पूर्वी दक्षिणी तरफ गांव राणासर पंवारान की रोही में स्थित है। उक्त भूमि के अतिरिक्त पक्षकारान के पूर्वज जैता के नाम की खातेदारी कृषि भूमि ख0 नं0 370 व 371 रोही केलणिया तहसील रावतसर में तथा ख0 नं0 285 व 289 रोही कल्लासर तहसील रावतसर में भी रही है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 34 के पूर्वज नानूराम, हीराराम, हुकमाराम, श्योदान अलग–अलग हुए तब वादगत भूमि वादीगण के दादा हुकमाराम के हक हिस्से में रखी गई। तत्पश्चात वादीगण काका रामनारायण, संतराम व डूंगरराम व वादी सं0 1 व 2 के पिता व वादी सं0 3 के नाना केसराराम ने अपने हक हिस्से की भूमि का आपस में बंटवारा कर लिया मुताबिक बंटवारा गांव राणासर पंवारान की रोही वाला खेत वादीगण के हक हिस्से में रखा गया। जिसके अनुसार वादीगण के पूर्वज केसराराम वादगत भूमि की काश्त करते [illegible] के स्वर्गवास के पश्चात वादीगण वादगत कृषि भूमि को निर्विघ्नरूप से [illegible]तार [illegible]ांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वा[illegible] कृषि भूमि [illegible] 603 रकबा 5.9900 हैक्टेयर रोही राणासर पंवारान तहसील सरदारशहर की भूमि मुताबिक बंटवारा वादीगण के हक हिस्से की भूमि है जिस पर वादीग[illegible] साधिकार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण द्वारा वादगत भूमि को मेहनत कर उपजाऊ बनाया है तथा सिंचाई के लिए भूमि को समतल कर अपनी राशि से खालों का निर्माण करवाया है और वादगत कृषि भूमि पूर्वजो के समय से वादीगण के हक अधिकार में रखी

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.26 13:20:36 IST
Reason: SelfAttested

गई होने से वादीगण वादगत कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के कानूनन अधिकारी है तथा तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाकर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है। अर्सा पहले वादीगण के परिवार में सामाजिक कार्यक्रम था तब वादी सं0 1 व 2 के पिता व वादी सं0 3 के नाना केसराराम द्वारा वादगत भूमि के सभी सहखातेदारों को वादगत भूमि मुताबिक मौखिक बंटवारा वादीगण के नाम दर्ज करवाने हेतु कहा था। तत्समय सभी ने अपनी मौखिक सहमति प्रदान करते हुए यह कहा था कि तुम्हारे कोई पुत्र संतान नहीं है हम समस्त प्रक्रिया अपने स्तर पर खेत तुम्हारे नाम करवा देंगे। जिस वादीगण विश्वास कर अपनी भूमि काश्त करते हुए भूमि का उपयोग उपभोग करते रहे। अब वादीगण द्वारा अपने कब्जा काश्त की वादगत भूमि पर ऋण लेने हेतु राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त की तो वादीगण को ज्ञान हुआ कि वादगत भूमि पक्षकारान वाद के पूर्वज जैता के नाम चली आ रही है। जिस पर वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 34 को राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने के लिए कहा और वादीगण द्वारा विरास्तन नामान्तरण दर्ज करवाने की प्रक्रिया की जिस पर विरास्तन नामान्तरण सं0 5 दिनांक 02.10.2019 को राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 34 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हुआ। तत्पश्चात वादीगण ने प्रतिवादीगण सं0 1 मा 34 को पूर्वजों के समय से चले आ रहे बंटवारे के आधार पर वादगत भूमि का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाकर वादगत भूमि वादीगण के नाम दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने रोही कल्लासर व रोही केलणिया की भूमि का भी मुताबिक बंटवारा राजस्व रिकॉर्ड दर्ज नहीं होने का हवाला देते हुए मुकर गये। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 34 को मुताबिक जुबानी बंटवारे वादगत भूमि का राजस्व रिकॉर्ड वादीगण के नाम करवाने के दायित्वाधीन हैं। इसलिए वादगत भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के कानून अधिकारी हैं। वादीगण ने वादगत कृषि भूमि का विरास्तन नामान्तरण दर्ज करवाने के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त कर कृषि भूमि वादीगण के नाम ब0हि0ब0 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए प्रतिवादीगण सं0 1 ता 34 को कहा एवं कहलवाया तो प्रतिवादीगण सं0 1 ता 34 ने राजस्व रिकॉर्ड दूरूस्त करवाकर वादगत भूमि वादीगण के नाम दर्ज करवाने से बमुकाम राणासर पंवारान दिनांक 29.12.2019 को इनकार कर दिया।

इस प्रकार वादीगण ने घोषणात्मक खातेदारी एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत कर ख0 नं0 603 रकबा 5.9900 हैक्टेयर रोही राणासर पंवारान तहसील सरदारशहर की भूमि की खातेदारी वादीगण ब0हि0ब0 अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में में दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा।

वादीगण की ओर से वाद न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दिनांक 01.01.2020 को दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण सं0 1 ता 34 की ओर से श्री महेन्द्र कुमार सींवर एडवोकेट उपस्थित हुए और इकबाल जबाब दावा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। पैरोकार राज द्वारा दिनांक 16.01.2020 को जबाब दावा पेश किया गया जिसमें दावा हाजा में राज्य हित निहित नहीं होना अंकित किया हैं। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 34 ने दावा में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपने इकबाल जबाब दावा में अंकित किया है कि दावा वादीगण स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादीगण सं0 1 ता 34 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.26 13:49:32 IST
Reason: SelfAttested

आपति नहीं है और अपनी सहमति वादीगण के हक में दी। किसी भी पक्षकार द्वारा दावा का खण्डन नहीं किये जाने से तनकी विरचित नहीं की गई और पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण मुकर्रर की गई। बतौर साक्ष्य PW-1 कान्ता ने दिनांक 29.09.2020 को अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया और अपने बयान लेखबद्ध करवाये और दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबन्दी, प्रदर्श–2 जमाबन्दी, प्रदर्श–3 जमाबन्दी, प्रदर्श–4 जमाबन्दी, प्रदर्श–5 जमाबन्दी प्रदर्शित करवाये।

बहस पक्षकारान सुनी गई। वकील वादीगण ने अपने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि वादगत कृषि भूमि पक्षकारान वाद के पूर्वज जैता वल्द सुखा की खातेदारी कृषि भूमि रही है। प्रतिवादी सं0 8 ता 13 व 31 ता 34 के पूर्वज नानूराम गांव ढाणी दूदगिर में आकर रिहायश करने लगे शेष परिवार गांव केलणिया में रिहायश करता रहा। गांव केलणिया व गांव राणासर पंवारान दोनो चिपते गांव है। वादगत भूमि वाला खेत रोही राणासर पंवारान में स्थित है जिसकी चिपती रोही गांव केलणिया की है। पक्षकारान वाद के पूर्वज जैता का परिवार जैसे–जैसे बढता गया उन्होंने अपने हिस्से की भूमि का आपस में बंटवारा कर लिया और उसी अनुसार काश्त करने लगे। मुताबिक बंटवारा वादगत भूमि वाला खेत वादीगण के पूर्वज केशराराम के हिस्से पांति में आया। वादीगण अपने पिता के साथ ही वादगत कृषि भूमि को काश्त करते रहे। वादगत कृषि भूमि पर वादीगण का साधिकार कब्जा काश्त चला आ रहा है। पारिवारिक बंटवारे में वादगत कृषि भूमि वादीगण को हिस्से पांति में दी गई है। इस तथ्य की पुष्टि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 34 ने अपने इकबाल जबाब दावा में भी की है। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 ता 34 ने वादगत भूमि में अपना हक हिस्सा लेने के लिए कोई मांग नहीं की है। वादीगण के दावा में वर्णित तथ्यों की ताईद में जबाब दावा पेश किया है। राजस्व अभिलेख प्रदर्श–1 ता 5 वादीगण के इन तथ्यों की पुष्टि करते है कि पक्षकारान वाद के खेत रोही केलणिया व राणासर पंवारान व ढाणी दूदगिर में है। जिनके मध्य अवश्य ही पारिवारिक बंटवारा हुआ है। तभी प्रतिवादी सं0 1 ता 34 ने वादीगण के हक में इकबाल जबाब दावा पेश किया है। वादीगण का यह भी तर्क रहा कि वादीगण के दावा के सम्बन्ध किसी भी पक्षकार ने कोई उज्र आपति नहीं की है और वादीगण अपने दावा में वर्णित तथ्यों को प्रमाणित करने में पूर्णतया सफल रहे हैं और दावा वादीगण डिक्री किया जावे।

वकील पक्षकारान के तर्कों का ध्यानपूर्वक मनन किया गया और पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादीगण के जबाब दावों में उल्लेखित तथ्यों एवं राज पैरोकार के जबाब दावा पर मनन किया गया।वादीगण यह साबित करने में सफल हुए है कि पक्षकारान वाद के पूर्वजों के मध्य पारिवारिक बंटवारा कृषि भूमि को लेकर हुआ है और इसी पारिवारिक बंटवारे के चलते वादगत कृषि भूमि का खेत वादीगण के हिस्स पांति में आया है। वादीगण दावा में वर्णित तथ्यों को प्रमाणित करने में पूर्णत सफल रहे हैं। जिसकी पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्य व इकबाल जबाब दावा से भी होती है। उक्त दावा के तथ्यों का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया और राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन करने पर इकबाल जबाब दावा के आधार पर निर्णित करना उचित समझती हूं एवं वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Reema
Date: 2021.02.26 13:29:32 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

वर्णित विवेचन से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है फलस्वरूप वाद स्वीकार किया जाकर घोषित किया जाता है कि कृषि भूमि ख0 नं0 603 रकबा 5.9900 हैक्टेयर रोही राणासर पंवारान तहसील सरदारशहर की भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम ब0हि0ब0 राजस्व रिकॉर्ड दर्ज की जावे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद किया जावे। उपरोक्त निर्णय एवं आदेशानुसार प्रतिवादी सं0 35 को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करे एवं निर्णय आदेश की पालना करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(रीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर जिला चूरू
पीठासीन अधिकारी श्रीमती रीना (आर.ए.एस.)
अनुवान मंजू वगैरा बनाम श्यामप्रकाश वगैरा
दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
दावा सं. 04/2020

Signature Not Verified
Digitally Signed by Reena
Date: 2021.02.26 13:29:32 IST
Reason: Test

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री चुन्नीलाल मेघवाल व ओमप्रकाश बेनीवाल एडवोकेट मिनजानिब मुदई हाजरी श्री महेन्द्र कुमार सींवर एडवोकेट मिनजानिब मुदायलाह पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि कृषि भूमि ख0 नं0 603 रकबा 5.9900 हैक्टेयर रोही राणासर पंवारान तहसील सरदारशहर की भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम ब0हि0ब0 राजस्व रिकॉर्ड दर्ज की जावे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद किया जावे। उपरोक्त निर्णय एवं आदेशानुसार प्रतिवादी सं0 35 को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करे एवं निर्णय आदेश की पालना करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

.....

.....बीज.....मुबलि .....

बाबत ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .....

... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .....

..... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 02 सन् 2021 को जारी की गई।

दस्तखत.....

मुहर

ओहदा .....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	04	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	02	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिष्नर	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बाबत इजराय	00	00
मुतफर्रिक	00	00	हुक्मनामा	00	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.26 13:29:32 IST
Reason: SelfAttested